न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2122–तीन/06 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–8–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 40/निग./02–03.

———

1– रामबहोर पाण्डे तनय रामप्रताप राम ब्राहम्ण
2– दुर्गाप्रसाद पाण्डेय तनय रामप्रताप राम ब्राहम्ण
दोनों निवासी ग्राम नकझर खुर्द
तहसील सिहावल जिला सीधी म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

छटिलाल सिंह तनय बघोलन सिंह माझी
निवासी ग्राम नकझर खुर्द तहसील सिहावल
जिला सीधी म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री एस. के. श्रीवास्तव एवं श्री डी.एस. चौहान, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री आर.डी. शर्मा, अधिवक्ता, अनावेदक ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 19 अगस्त, 2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 40/निग./02–03 में पारित आदेश दिनांक 7–8–06 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया कि विवादित भूमि के पूर्व भूमिस्वामी देवराज तनय हरनाम सिंह गोंड हैं । उक्त भूमियों का चोरी–छिपे नामांतरण आवेदकों ने करा लिया है अतः आराजी वापिस दिलाई जाये । अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण पश्चात अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को संहिता की धारा 170–ख की परिधि के बाहर पाते हुए निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर, सीधी के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 31–12–02 को आदेश पारित करते हुए एस.डी.ओ. का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व अभिलेखागार से वर्ष 56–57 से 60–61 तक के खसरे की मूल प्रति

तथा 58–59 की खतोनी की मूल प्रति के अवलोकन के पश्चात आदेश दिनांक 9–5–59 की वैधता की जांच उपरांत संहिता की धारा 170 (क) (ख) के प्रावधानों को देखते हुए युक्तियुक्त आदेश सुनवाई उपरांत पारित करें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी आवेदको पिता रामप्रतापराम थे जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में पारिवारिक व्यवस्था अनुसार आवेदकों का विधिवत नामांतरण तहसील न्यायालय से कराया गया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत जांच करते हुए तथा उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देने के उपरांत अनावेदक के आवेदन को संहिता की धारा 170–ख की परिधि में न होने से प्रचलन योग्य न मानकर कोई त्रुटि नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य, अभिलेख तथा कानूनी प्रावधानों को दृष्टिओझल करते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने के आदेश दिए हैं जो विधिसम्मत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 1958–59 की प्रमाणित खतोनी एवं प्रमाणित खसरे की प्रतियां विचारण न्यायालय के अभिलेख में संलग्न हैं । उनसे स्पष्ट है कि आवेदकों के पिता का नामांतरण 9–5–59 को अर्थात संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व किया गया है । पटवारी द्वारा भी एस.डी.ओ. के समक्ष जो कथन किए गए हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वर्ष 58–59 की खतोनी में रामप्रताप राम जोकि आवेदकों के पिता थे का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है ।

यह तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 170 ख ऐसे व्यक्तियों के संबंध में लागू होती है जो 2–10–59 के पश्चात जब संहिता लागू हुई एवं संशोधित अधिनियम 1990 लागू होने की तारीख को अनुसूचित जनजाति की भूमि धारण करता हो । चूंकि आवेदकगण संहिता के लागू होने के पूर्व से ही प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हैं, इसलिए संहिता की धारा 170 ख के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1986 आर.एन. 106, 1986 जे.एल.जे. 190 एवं 1997 आर.एन. 206 उद्धरित किए गए हैं ।

यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत सम्पूर्ण जांच कर आवेदकों के संहिता के पूर्व से प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी होने से इस प्रकरण में संहिता

की धारा 170–ख लागू न होना पाया है, इसके बावजूद अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने विधि एवं न्याय की गंभीर त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया है कि जिस दिनांक 10–7–11 को एस.डी.ओ. के समक्ष मूल खतोनी वर्ष 1958–59 की पेश तब उनके द्वारा प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया, अनावेदक को यदि आपत्ति थी तो उन्हें समय रहते अंतरिम आदेश को चुनौती देना चाहिए थी परंतु उसे चुनौती नहीं देने से उक्त आदेश अंतिम हो गया है, अतः प्रकरण मूल खतोनी के अवलोकन हेतु प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता ।

यह तर्क भी दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का संव्यवहार स्पष्ट रूप से संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक 2.10.59 का है ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा आवेदन में उठाये गये आधार निरर्थक हो जाते हैं, जिन्हें अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने दृष्टिओझल कर अपने न्यायिक विवेक का उपयोग न करते हुए अभिलेख के विपरीत आदेश पारित किए हैं जो निरस्ती योग्य हैं । उक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि छठिलाल अनावेदक की है जिसका अंतरण संहिता की धारा 165 (6) के तहत बिना कलेक्टर की अनुज्ञा के नहीं किया जा सकता था इस कारण रामबहोर आदि का नामांतरण मूलतः शून्य है ।

यह तर्क भी दिया गया है रामबहोर आदि वर्तमान आवेदकगण का विवादित भूमियों पर नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया है, जिससे उन्हें कोई हक अर्जित नहीं होता है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 170–ख के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 50 के परंतुक (एक) (ग) के तहत राजस्व मंडल की पुनरीक्षण अधिकारिता वर्जित है । इस कारण पुनरीक्षण इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । अंत में यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के निष्कर्षों में पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अनावेदक की ओर से संहिता की धारा 170–ख के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को संहिता की धारा 170–ख की परिधि में न मानते हुए आवेदन निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने स्वीकार की एवं प्रकरण एस.डी.ओ. को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि

अपर आयुक्त ने की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि विचारण न्यायालय के अभिलेख में वर्ष 58–59 की खतोनी की प्रमाणित प्रति पृष्ठ 17 पर संलग्न है इसमें आवेदक के पिता का नाम काश्तकार के रूप में अंकित है इसी प्रकार अभिलेख के पृष्ठ 81 पर खसरा वर्ष 1956–57 लगायत 1959–60 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसमें आवेदक के पिता का नाम आदेश दिनांक 9–5–59 के आदेश के आधार पर किये जाने का उल्लेख है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण आवेदकों 5के पूर्वजों के पक्ष में संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक 2–10–59 के पूर्व हुआ है,. अतः यह प्रकरण संहिता की धारा 170–ख की परिधि में नहीं आता है ऐसी स्थिति में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता के संबंध में उठाई गई आपत्ति मान्य किए जाने योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त यहां यह उल्लेख करना भी उचित प्रतीत होता है कि यह प्रकरण पिछले 8 वर्ष से इस न्यायालय में लंबित है और अनावेदक द्वारा प्रकरण संहिता की धारा 170–ख का होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं ली गई है । अतः उनके द्वारा प्रकरण के प्रचलनशीलता पर की गई आपत्ति अमान्य की जाती है ।

6– जहां तक अपर कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है कि राजस्व अभिलेखागार से वर्ष 56–57 से 60–61 तक के खसरे की मूल प्रति तथा 58–59 की खतोनी की मूल प्रति के अवलोकन के पश्चात आदेश दिनांक 9–5–59 की वैधता की जांच उपरांत संहिता की धारा 170 (क) (ख) के प्रावधानों को देखते हुए युक्तियुक्त आदेश सुनवाई उपरांत पारित करें । अपर कलेक्टर का उक्त आदेश प्रकरण के तथ्यों एवं उसमें उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अभिलेख में उपलब्ध वर्ष 58–59 की खतोनी एवं खसरों की प्रमाणित प्रतिलिपियों को अनदेखा किया गया है उक्त दस्तावेज क्योंकर अविश्वसनीय हैं, इसका कोई उल्लेख उनके आदेश में नहीं है । न्यायदृष्टांत 1998 आर.एन. 32 में माननीय उच्च न्याालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित कियाहै कि " भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) धारा 170(ख) संव्यवहार 2.10.59 के पूर्व अर्थात संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व – ऐसे संव्यवहार को संहिता की धारा 170–ख के उपबंध प्रभावी नहीं होंगे । माननीय उच्च न्यायालय उक्त निर्णय न्यायदृष्टांत 1995 आर.एन. 184 पर आधारित है । न्यायदृष्टांत 1997 आर.एन. 206 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का अभिमत दिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त

न्यायदृष्टांत को देखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हए कि आवेदकों के पिता का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक 2–10–59 के पूर्व दिनांक 9–5–59 को हो चुका था, इस कारण इस प्रकरण में संहिता की धारा 170–ख प्रभावी नहीं मानी जा सकती । अतः प्रकरण की सम्पूर्ण स्थिति पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उसमें ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण को पुनः जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होते हुए भी उसे निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है, इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है अतः उनका आदेश भी निरस्ती योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–8–06 एवं अपर कलेक्टर, जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–02 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–2–02 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर